न्यायालय सिविल जज(सी0 डि0)/ए0 सी0 जे0 एम0, चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी

सरकार बनाम अब्बास
मु०अ०सं०–130/2026
धारा–303(2), 317(2) बी.एन्.एस.
थाना–हजरतनगर गढ़ी, जनपद सम्भल

दिनांक–12.08.2026

अभियुक्त अब्बास पुत्र भोला की ओर से मु०अ०सं० –130/2026, धारा–303(2), 317(2) बी.एन्.एस., थाना हजरतनगर गढ़ी, जिला सम्भल में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है। प्रार्थी ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है जैसा की प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। प्रार्थी पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः अभियुक्त द्वारा उसे जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थन की गयी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त का थाने से आपराधिक इतिहास तलब करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय एवं प्रकृति का है। है। अभियुक्त पर वादी के ट्यूवैल का सामान चोरी करने व चोरी किया हुआ सामान बरामद होने का आरोप है। अभियुक्त दिनांक–08.08.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना प्रचलित है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **अब्बास पुत्र भोला** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(पराग यादव)
सिविल जज(सी0 डि0)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी

Digitally signed by PARAG YADAV
Date: 2026.08.12 16:34:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court